न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई जिला भरतपुर (राज.)
(पीठासीन अधिकारी श्री विनोद कुमार मीना RAS)

प्रकरण सं. 20/2019.

किस्म उ. प्रार्थना पत्र अन्तर्गत
धारा 212 RTA

निर्णय दिनांक - 27.2.2020

(1) गोविन्द सिंह पुत्र रूपाली राम जाति- जाट- निवासी
कौन्य तहसील- नदबई जिला- भरतपुर (राज.)

सायल/प्रार्थी.

बनाम -

(1) दलवीर सिंह
(2) माधो सिंह
पि. भूरी सिंह जाति- जाट निवासी कौन्य तहसील- नदबई जिला-भरतपुर
(3) राजेश पुत्री भूरी सिंह
(4) लक्ष्मन पुत्र करन
(5) राज. सरकार जरिये तहसीलदार नदबई
(6) सब रजिस्ट्रार नदबई

गैरसायल/अप्रार्थीगण

उपस्थित: अधिवक्ता श्री अशोक कुमार प्रस-
श्री.

निर्णय: प्रार्थना पत्र- अन्तर्गत धारा 212 RTA

(1) यह कि प्र. प्रार्थी द्वारा दावा अन्तर्गत धारा- 53 व 188 RTA के साथ प्रार्थना पत्र 212 RTA प्रक्रियाधीन विशेष सफलता की रूर्ण[illegible]

(2) यह कि प्र- खाता सं. 349 के आ.खा.न. 1254 रकबा 0.51 व 1282 रकबा 2.45 व 1296 रकबा 0.01 व 1297 रकबा 1.57 व 1356 रकबा 0.01 व 1357 रकबा 0.41 व 1551 रकबा 0.06, 1574 रकबा 0.03 व 2131 रकबा 0.23 व 2163 रकबा 1.05

उप खण्ड अधिकारी
भरतपुर (राज.)

Scanned by CamScanner

2164 रकबा 0.41 व 2165 रकबा 0.42 किता 12 कुल रकबा 7.16 है० खेवट खाता सं. 347 का खान, 1366 रकबा 0.14 है. वाके ग्राम कैंथ तहसील नदबई पर स्थित है।

यह है कि- विवादित आराजी सायल एवं गैर सायलान की सम्मिलित खातेदारी- की आराजी है. जिस पर सायल व गैर सायलान अपने अपने हिस्से पर मनवार से काबिज होकर हिस्सानुसार काश्त करते चले आ रहे है. उक्त आराजी का- अभी तक कानूनी बटवारा नहीं हुआ है. सायल व गैर सायलान के मध्य और बागान आदि- पर तनाजा रहने लगा है. अब सम्मिलित काश्त करना सम्भव नहीं रहा है. सायल- उपरोक्त आराजी- का कानूनी विभाजन- अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी आराजी के कुर्रेजात- कायम- कराकर अलग-2 खातेदारी व अलग लगान तय करा पाने का अधिकारी है तदनुसार ही राजस्व रिकार्ड में अंकन- करा पाने का अधिकारी है.

(5) यह है कि- गैर सायलान ने सायल को दिनांक- 11.12.19 को धमकी दी की- विवादित- आराजी का- कानूनी विभाजन कराये बिना अच्छी में से अच्छी कीमती आराजी को दिगर शख्स (व्यक्ति) को रहन बय मुन्तकिल कर देंगे जबकि ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार हासिल नहीं है. क्योंकि- जब तक- कानूनी रूप से विभाजन नहीं हो जाये तब तक- सह खातेदार का कब्जा माना जाता है तथा प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सह खातेदार का हक व कब्जा होता है. इसलिए अगर गैर सायलान अपनी दी गयी धमकी में कामयाब हो गये तो सायल को अजीम नुकसान होगा जिसकी- क्षतिपूर्ति नकद नहीं हो सकेगी इसलिए सायल गैर सायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है.

अतः प्रार्थना है कि- प्रथमदृष्टया केस व सुविधा का सन्तुलन सायल के हक में बखूबी साबित है, अर्जी का प्रार्थना स्वीकार कर गैर सायलान को ता. फैसला मुकदमा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि- आ. को दिगर शख्स को रहन-बय मुन्तकिल न करें किसी प्रकार की मदाखलत- मजाहमत ना करें राजस्व रिकार्ड व मौके की यथा स्थिति-बनाये रखें. व ऐसा कोई कार्य करें जिससे सायल के हक व हकूकों पर असर आवे.

उप खण्ड अधिकारी
नदबई भरतपुर (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

सायल/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA के तहत दर्ज रजि. किया जाकर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किये गये। अप्रार्थी सं. 1 लगायत 4 की ओर से श्री लक्ष्मण सिंह एड. उपस्थित हुए. तथा इन्हीं की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। शेष अप्रार्थी/गैर सायल सं. 5, 6 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी. अप्रार्थी सं. 1 गैर सायल सं. 1 लगायत 4 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित किया कि :-

(1) यह है कि- वि.आ. वाके ग्राम कैथ हेमा स्वीकार है. खाता सं. 349 में अंकित आराजी किता 12 रकबा 7.16 है. के हम अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 1/2 हिस्से के तथा 1/2 हिस्से का प्रार्थी सं. 1 गोविन्द सिंह रिकार्ड व मौके पर बराबर काबिज काश्तकार हैं. तथा मतवर से हम अप्रार्थीगण एवं प्रार्थी अपने हिस्से पर काबिज चले आ रहे हैं. खाता सं. 347 में अंकित आराजी पर प्रार्थी सं. 1 गोविन्द सिंह 1/22 तथा अप्रार्थी सं. 1 ता 3, 3/66 हिस्से के तथा अप्रार्थी सं. 4 लक्ष्मन 10/11 हिस्से के खातेदार हैं.

(2) यह है कि- सायल व गैर सायल विवादित आराजी पर मतवर अरसा से काबिज चले आ रहे हैं. परन्तु अभी तक कानूनी बटवारा नहीं हुआ है. यह बात सही है परन्तु प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य आज तक मौके पर लगान आदि किसी प्रकार कोई झगड़ा नहीं रहा है इसके बावजूद सायल/प्रार्थी बटवारा करना चाहता है तो कोई आपत्ति अप्रार्थीगण को नहीं है।

(3) यह है कि- सायल ने गलत तथ्य असत्य एवं मनगढ़न्त तहरीर किये हैं हम अप्रार्थीगण को अपने हिस्से की आराजी को विक्रय करने व रहन करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है. इसलिए हमको अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता है. हम अप्रार्थी सं. 1 ता 3 को रुपये पैसे की आवश्यकता है हमारे पिता का देहान्त अभी हुआ है उसके क्रिया कर्म व इलाज में काफी खर्च हुआ है तथा कर्जा भी हो गया है. जिसको चुकाने के लिए हम अप्रार्थीगण अपने हिस्से की आराजी को विक्रय करना बहुत आवश्यक हो गया है. कोई स्थगन आदेश से हम अप्रार्थीगण को भारी क्षति होने की सम्भावना है. जबकि प्रार्थी को हमारे हिस्से की आराजी को विक्रय करने में कोई क्षति नहीं होगी अतः सुविधा का सन्तुलन भी हम अप्रार्थीगण के हक में है. इसलिए अप्रार्थीगण का जवाब प्रा. पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी/सायल का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे.

उप खण्ड अधिकारी
नदबई भरतपुर (राज.)

Scanned by CamScanner

सायल/प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेज के रूप में नकल जमाबंदी संवत 2075-78 वाके ग्राम कैम्प पेश किया गया।

गैर सायलान/अप्रार्थीगण ने अपने समर्थन में दस्तावेज के रूप में नकल जमाबंदी संवत 2075-78, जिल्द 2 वाके कैम्प पेश की गयी।

बहस प्रार्थना पत्र- धारा RTA उभयपक्ष जारम के विद्वान वकीलों द्वारा की गयी। प्रार्थी सायल वकील दौरान बहस कहा कि- दावा धारा 53,188 RTA का है वादीगण प्रार्थी विवादित आराजी के खातेदार है जो प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संवत- 2075-78 वाके कैम्प से स्पष्ट है। प्रार्थी के सहखातेदार होने को अप्रार्थी द्वारा भी जवाब प्रा.पत्र में स्वीकार किया है। तथा विवादित- आराजी का अभी तक- कानूनी रूप से बटवारा नहीं हुआ है। जब तक- बटवारा कानूनी रूप से नहीं हो जाये तब तक- जारी शुदा स्थगन आदेश को दावे के निस्तारण तक कायम किया जावे। इस संबंध में प्रार्थी वकील द्वारा RRT 2006 (2) पेज- 1101 बोर्ड आफ रेवेन्यू- बच्चूसिंह बनाम केशवदेव-वगै. तथा RRT 2006 (2) पेज-1105 बोर्ड आफ रेवेन्यू रामचन्द्र बनाम नाथूराम-वगैरह की नजीर पेश की गयी।

अप्रार्थी/गैरसायलान के विद्वान वकील ने दौरान बहस में आपत्ति व तर्क किया कि- प्रार्थी द्वारा मद सं. 3 में सहखातेदारों का विवादित- आराजी पर सुविधा-2 नक्शा व विभाजन की बात नहीं है। जबकि बहस में विवादित आराजी पर संयुक्त कब्जे की काश्तकारी का तर्क दिया है अर्थात- प्रार्थी के तथ्यों में विरोधाभास है। जिससे सिद्ध होता है कि- प्रार्थी ने अप्रार्थीगणों को स्थगन के माध्यम से उनके खातेदारी अधिकारों के लाभों से वंचित रखने व परेशान करने की नियत से दावा किया है। अप्रार्थीगण के वकील ने यह आपत्ति की है कि प्रार्थी द्वारा विवादित- आराजी को बेचने का कारण प्रार्थीगण के पिता की बीमारी व बहन की शादी पर हुए खर्च के कारण कर्ज को बताया है लेकिन बीमारी व शादी का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे अप्रार्थीगण का कर्ज सिद्ध होता है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजीर अन्य रिकॉर्ड्स खातेदार पर लागू होती है सहखातेदार पर लागू नहीं होती है। गैरसायल वकील द्वारा अपने समर्थन में विभिन्न ~~प्रार्थी~~ वकील नजीर 1) R.R.D.-1998-P-79, 2) RRT 2013 (2) P-1106, 3) RRT 2015 (1), P-633, 4) RRT 2016 (1) P-113, 5) RRD 1991 P-231 (9), 6) W.L.T.V 1988 (1) P-33 पेश की गयी।

उप खण्ड अधिकारी
भरतपुर (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

प्रार्थी वकील द्वारा पुनः अपनी बहस रिप्लाई में कहा कि अप्रार्थीगण मौके-आराजी में से आधी-2 भूमि का बंटवारा चाहता है जिससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी क्योंकि मौके के मुताबिक ना होने से अनावश्यक मुकदमे बाजी बढ़ेगी तथा विवाद का निस्तारण नहीं होगा.

हमने दोनों विद्वान वकीलों की बहस को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि.

1) प्रथम दृष्टया केस:- प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2075-78 वाले गांव- [illegible] पेश की गई जिस पर प्रार्थी व अप्रार्थीगण विवादित आराजी के सह खातेदार हैं, दावा राज. काश्तकारी अधिनियम की धारा 53, 188 RTA के तहत बंटवारे का पेश किया है विवादित आराजी का अभी कानूनी रूप से बंटवारा नहीं हुआ है, विवादित में हक पक्षकार को हक को लेकर कोई विवाद नहीं है विवाद केवल बंटवारे का है, बंटवारे के दावे में मौके की यथा स्थिति बनाये रखना आवश्यक है अन्यथा मौके पर निर्माण व अन्य किसी परिवर्तन से मौके की स्थिति में बदलाव होने से बंटवारे में अनावश्यक पेचीदगी बढ़ेगी, तथा प्रार्थी को बंटवारे में परेशानी होगी. इसलिए प्रथम दृष्टया केस आंशिक रूप से प्रार्थी के हक में साबित है.

2) सुविधा का सन्तुलन:- सुविधा का सन्तुलन भी आंशिक रूप से प्रार्थी/सायल के पक्ष में साबित है.

3) अपूरणीय क्षति:- चूंकि दावा विभाजन का है, लेकिन रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने से बंटवारे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा साथ ही अप्रार्थीगण को अपने पक्ष- रिकार्ड की यथास्थिति से पाबंद किया जाता है तो अप्रार्थीगण को अपने खातेदारी अधिकारों के लाभ से वंचित होना पड़ेगा तो अपूरणीय क्षति अप्रार्थीगण को ही होगी,

अतः उपरोक्त तीनों बिन्दुओं के विवेचन के आधार पर प्रार्थी/सायल का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है.

Scanned by CamScanner

अतः आदेश दी जाती है कि विवादित आराजी खाता सं. 369 के ख.नं. 1254, 1262, 1296, 1297, 1356, 1357, 1551, 1574, 2131, 2163, 2164, 2165 रकबा कुल 7.16 है. एवं खाता सं. 347 के ख.नं. 1366 रकबा 0.14 है वाके ग्राम - [illegible] के मालिकाना हक - कब्जे के कारण को मौके की यथास्थिति एवं निर्माण कार्य नहीं करने हेतु पाबंद किया जाता है तथा इस न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 11.12.19 को जारी किया गया था जिसमें और आयन्दा को रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु स्थगन रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27/2/2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रा० बाद तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

(विनोद कुमार मीना)
उप खण्ड अधिकारी
नदबई भरतपुर (राज॰)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner